न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 67/2025

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र–30/2025 तथा 04/2026 व 3ए/2026

राजस्थान सरकार जरिये, श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, नसीराबाद,अजमेर।

............प्रार्थी

बनाम

1. श्री पुनीत यादव पुत्र श्री दशरथ यादव निवासी श्रीनगर अजमेर।
2. श्री दीपक यादव पुत्र सम्पत यादव निवासी श्रीनगर अजमेर।
3. दीपक यादव पुत्र हनुमान यादव निवासी श्रीनगर अजमेर।
4. श्री महेन्द्र मेघवंशी पुत्र श्री बाबूलाल निवासी दाता आखरी गेगल, अजमेर।
5. श्री चांद बेग पुत्र श्री फिरोज बेग जिलावड़ा श्रीनगर अजमेर।
6. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द अग्रवाल निवासी मित्र निवास कॉलोनी किशनगढ
7. श्री दशरथ यादव श्रीनगर अजमेर पुलिस थाना श्रीनगर

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 से 4, 6 व 7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

<u>आदेश</u>

दिनांक–21.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होनें तहरीर प्रस्तुत करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक हजार लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220

जिला कलक्टर
अजमेर

लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से भण्डारण, परिवहन विक्रय किया जाना साबित होने मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (पदार्थ एवं वितरण का विनियमन एवं कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 मय 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ, ट्रेक्टर टेंकर संख्या RJ-01-RA-1114 एवं मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 12 प्लास्टिक की टंकी 1 चौकोर टंकी, 18 लोहे के ड्रम 2 नोजल, 1 नोजल नुमा लोहे का यंत्र, चार इलेक्ट्रीक मोटर मय प्लास्टिक पाइप, 10 लीटर क्षमता के दो माप, 5 लीटर क्षमता का 1 माप, 1 लीटर क्षमता के 2 माप, 3 गेज माप (सभी माप अप्रमाणित) उपरोक्त ड्रम–टंकीयों में पाय गया 11600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 5 जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी मांगीलाल की ओर जप्त ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375, प्रार्थी श्री दीपक अग्रवाल की ओर से बेस ऑयल 28900 लीटर एवं वाहन संख्या मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060, प्रार्थी श्री इस्लाम की ओर से ट्रेक्टर टेंकर संख्या RJ-01-RA-1114, को सुपुर्दगीनामे पर छुडाने हेतु सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिन्हे दर्ज किया जाकर जिला रसद अधिकारी अजमेर से टिप्पणी तलब की गई। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्रो को मूल 6 ए प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु पेश होने के आदेश दिये गये। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को मूल 6 ए प्रकरण, मय सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्रों के साथ सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होनें तहरीर प्रस्तुत करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक हजार लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टैंकर RJ 42 GA 1375 खडा पाया जिसमें टैंकर में पांच कंपार्टमेंट तथा कुल क्षमता 34000 लीटर लिखी हुई है, जिसमें कंपार्टमेट क्रमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

भरा हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ट्रक टैंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 मौजूद था, जो कि टिन शेड कमरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व नोजल से जुडा हुआ था अर्थात उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर तत्समय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रेक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। इसके अतिरिक्त मौके पर टिन शेड (कमरानुमा) में एक इलैक्ट्रिक मोटर 10–10 लीटर क्षमता लिखा हुआ (अप्रमाणिक) माप, 05 लीटर क्षमता लिखा हुआ एक (अप्रमाणिक) माप, 1–1 लीटर क्षमता लिखा हुये दो (अप्रमाणिक) माप 03 अप्रमाणिक गेज माप पाये गये। मौके पर एक ट्रक ट्रेलर संख्या RJ-47-GA-1455 खडा था जिसका ड्राईवर चांद बेग भी मौके पर पैट्रोलियम पदार्थ भरवाने आया हुआ था। मौके पर एक मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 भी मौजूद थी मौके पर श्री पुनीत यादव पुत्र श्री दशरथ यादव निवासी जादम मौहल्ला श्रीनगर उपस्थित मिले, जिन्होने बताया कि यह परिसर नूसत श्री रामकरण यादव का है जिसे उनके पिताजी श्री दशरथ यादव ने किराये पर ले रखा है इस पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार को श्री दशरथ यादव देखते है तथा पिताजी के कार्य में सहयोग करते है। पुलिस जाप्ते की कार्यवाही के दौरान वह उपस्थित थे। पुलिस कार्यवाही के दौरान पिताजी कहीं बाहर चले गये थे। मौके पर मौजूद ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 में मौजूद पैट्रोलियम पदार्थ गांधीधाम गुजरात से मंगवाया गया था, जो कि परिसर में मौजूद पात्रों में भरवाया जा रहा था। मौके पर मौजूद मारूति Swift RJ-01-CD-0645 मेरे पिताजी श्री दशरथ यादव की है, कारोबार में आने जाने के दौरान उक्त कार काम में आती है। श्री पुनीत यादव के बयान पृथक से दर्ज किये गये है। उन्होनें वक्त जांच उपरोक्त पैट्रोलियम पदार्थ में भण्डारण/विक्रय के सबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। मौके पर श्री दीपक यादव पुत्र श्री सम्पत यादव निवासी रामपुरा अहीरास, पी.एस. श्रीनगर मौजूद मिले है उन्होनें बताया कि ट्रक टेलर संख्या RJ-01-GC-1947 के चालक है दशरथ यादव द्वारा 80 रूपये प्रति लीटर की दर से डीजल बेचा जाता है, सस्ता होने की वजह से वह यहॉ डीजल भरवाने आये है उसी समय पुलिस जाब्ता आया है और दिनांक 01.10.2025 को शाम के समय यह कार्यवाही करने के बाद से वह यहीं पर है। श्री दीपक यादव के बयान पृथक से दर्ज किये गए । मौके पर उपसिति श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी मित्र निवास, कॉलोनी, किशनगढ उपस्थित मिले जिन्होने बताया कि ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 को गांधीधाम गुजरात से मंगवाया था और श्री दशरथ यादव को 75 रूपये प्रतिलीटर की दर से उक्त ट्रक टेंकर में मौजूद पेट्रोलियम पदार्थ बेचा जाता है इस प्रकार व्यापार/भण्डारण का मेरे पास कोई अनुज्ञा–पत्र नहीं है बेचने के उदेश्य से यह कार्य किया जाता है श्री दीपक अग्रवाल के बयान पृथक से दर्ज किये गये है मौके पर मौजूद महेन्द्र मेघंवशी पुत्र श्री बाबूलाल निवासी दाता आखरी पी.एस. गेगल अजमेर ने पूछताछ करने पर बताया कि उन्हें श्री दशरथ यादव द्वारा 12,000 रूपये मासिक वेतन वाहनों की सार–संभाल एवं डीजल भरने आदि का काम करने के लिए रखा हुआ है श्री महेन्द्र मेंघंवशी के बयान पृथक से दर्ज किये गये है। मौके पर मौजूद दीपक यादव पुत्र श्री हनुमान निवासी श्रीनगर से पूछताछ करने पर बताया कि वह दशरथ यादव के यहां पर वाहनों की सार–संभाल एवं डीजल भरने आदि का काम करते है। मौके पर मौजूद श्री चांद बेग पुत्र श्री फिरोज बेग निवासी जिलावडा उप तहसील श्रीनगर तहसील नसीराबाद ने बताया कि वह ट्रेलर संख्या RJ-47-GA-1455 पर काम करते है, उन्होनें यहां गाडी खडी की थी। मौके पर श्री दीपक अग्रवाल पुत्र गोविन्द अग्रवाल द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार में प्रयुक्त वाहन मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 भी मौजूद है इस प्रकार उपरोक्त परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध

जिला कलक्टर
अजमेर

रूप से भण्डारण, परिवहन विक्रय किया जाना साबित होने मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (पदार्थ एवं वितरण का विनियमन एवं कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। अतः मौके पर पाये गये ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 मय 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ, ट्रेलर संख्या RJ-01-GC-1947 ट्रेक्टर टेंकर संख्या RJ-01-RA-1114 ट्रेलर संख्या RJ-47-GA-1455 मारूति कार Swift RJ-01-CD-0645 मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 12 प्लास्टिक की टंकी 1 चौकोर टंकी, 18 लोहे के ड्रम 2 नोजल, 1 नोजल नुमा लोहे का यंत्र, चार इलेक्ट्रीक मोटर मय प्लास्टिक पाइप, 10 लीटर क्षमता के दो माप, 5 लीटर क्षमता का 1 माप, 1 लीटर क्षमता के 2 माप, 3 गेज माप (सभी माप अप्रमाणित) उपरोक्त ड्रम–टंकीयों में पाया गया 11600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भी मौके पर जब्त किया गया तथा जब्तशुदा माल को मय वाहन/पात्र थानाधिकारी श्रीनगर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 मय 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ, ट्रेक्टर टेंकर संख्या RJ-01-RA-1114 एवं मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 12 प्लास्टिक की टंकी 1 चौकोर टंकी, 18 लोहे के ड्रम 2 नोजल, 1 नोजल नुमा लोहे का यंत्र, चार इलेक्ट्रीक मोटर मय प्लास्टिक पाइप, 10 लीटर क्षमता के दो माप, 5 लीटर क्षमता का 1 माप, 1 लीटर क्षमता के 2 माप, 3 गेज माप (सभी माप अप्रमाणित) उपरोक्त ड्रम–टंकीयों में पाय गया 11600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश फरमावें।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 7 द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि अप्रार्थीगणो के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी ने झूंठा परिवाद पेश किया है अप्रार्थीगणों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी भी प्रावधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। जिला रसद अधिकारी ने पार्किग में खडी गाडियों को जब्त कर झूंठा परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जबकि उक्त गाडियों का इस प्रकरण से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। जिला रसद अधिकारी ने इण्डस्ट्रीज के उपयोग में आने वाले बेस ऑयल को बायो डीजल बताकर झूठा प्रकरण अप्रार्थीगणो के विरूद्ध पेश किया है। बिना एफ.एस.एल रिपोर्ट के बेस ऑयल को मात्र आशंका के आधार पर बायो डीजल बता दिया। जबकि अप्रार्थीगणो का बायो डीजल से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जिला रसद अधिकारी ने 6 ए एक्ट की कार्यवाही के लिए झूंठा परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अतः उक्त परिवाद खारिज कर वाहन व अन्य सामान को लौटाने के आदेश पारित करे।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 6 द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी को मौके पर किसी भी प्रकार का कोई बायो डीजल को बेचते हुए नहीं पकडा गया मात्र शंका आशंका के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी की उक्त कार श्रीनगर में श्री विनायक पार्किग में खडी थी तथा खडी कार को जिला रसद अधिकारी ने झूठें प्रकरण में ज़ब्त किया है। जब्तशुदा कार प्रार्थी की माता स्वर्गीय श्रीमती सन्तोष देवी अग्रवाल के नाम से पंजीकृत है तथा प्रार्थी की माता का स्वर्गवास हो चुका है, मृत्यु होने के पश्चात ही उक्त कार का मालिक है। प्रार्थी श्याम ट्रेडिग कम्पनी का प्रोपराईटर है तथा प्रार्थी की कम्पनी बेस ऑयल का कारोबार करती है। प्रार्थी की उक्त कम्पनी पर बेस ऑयल दिनांक 27 सितम्बर 2025 अडाणी टर्मीनल सेज मून्दडा गुजरात से टेंकर नंबर RJ-42-GA-1375 में बेस ऑयल भरकर अपने फर्म में सिलोरा जा रहा था, चालक ने आराम करने के लिए

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अपने उक्त वाहन को श्री विनायक पार्किग श्रीनगर जिला अजमेर में खडी करके चाय नाश्ता कर रहा था उसी समय जिला रसद अधिकारी व पुलिस वालो ने मिलकर प्रार्थी के वाहन व माल को जब्त कर प्रार्थी के विरूद्ध झूठा परिवाद प्रस्तुत कर दिया जब कि प्रार्थी के पास उक्त जब्तशुदा माल का जीएसटी पेड बिल है इसके उपरांत भी उक्त झूठे परिवाद में प्रार्थी के माल व वाहन को जब्त कर लिया जब कि प्रार्थी के वाहन व माल का उपरोक्त घटना से किसी प्रकार का कोई लेना देना व सबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा जारी अनुज्ञप्तिधारी है जिसके तहत प्रार्थी को बेस ऑयल का कारोबार करने के लिए विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त है। जब्तशुदा बेस ऑयल की कीमत 90 रूपये 36 पैसे है जब कि डीजल की कीमत 90 रूपये 16 पैसे है ऐसे में डीजल से कम कीमत पर बेचकर प्रार्थी की फर्म घाटे का सौदा किसी भी स्थिति में नही कर सकती है। प्रार्थी के पास जब्तशुदा माल का जीएसटी पेड बिल है जिसमें स्पष्ट रूप से बेस ऑयल का अंकन है जो कि इण्डस्ट्रीयल उपयोग में आता है तथा पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में नही आता है। रसद विभाग एवं पुलिस ने बिना एफ एस एल करवाये जब्तशुदा वाहन मय माल को बेस ऑयल के स्थान पर बायोडीजल बताकर झूठा परिवाद प्रस्तुत किया जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज किये गये परिवाद को निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टैंकर RJ 42 GA 1375 खडा पाया जिसमें टैंकर में पांच कंपार्टमेंट तथा कुल क्षमता 34000 लीटर लिखी हुई थी, जिसमें कंपार्टमेट क्रमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ट्रक टैंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 मौजूद था, जो कि टिन शेड कमरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व नोजल से जुडा हुआ था अर्थात उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर तत्समय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रेक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। इसके अतिरिक्त मौके पर टिन शेड (कमरानुमा) में एक इलैक्ट्रिक मोटर 10–10 लीटर क्षमता लिखा हुआ (अप्रमाणिक) माप, 05 लीटर क्षमता लिखा हुआ एक (अप्रमाणिक) माप, 1–1 लीटर क्षमता लिखा हुये दो (अप्रमाणिक) माप 03 अप्रमाणिक गेज माप पाये गये। मौके पर एक ट्रक ट्रेलर संख्या RJ-47-GA-1455 खडा था जिसका ड्राईवर चांद बेग भी मौके पर पैट्रोलियम पदार्थ भरवाने आया हुआ था। मौके पर एक मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 भी मौजूद थी मौके पर मौजूद ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 में मौजूद पैट्रोलियम पदार्थ गांधीधाम गुंजरात से

जिला कलक्टर
अजमेर

मंगवाया गया था, जो कि परिसर में मौजूद पात्रों में भरवाया जा रहा था। मौके पर मौजूद मारूति Swift RJ-01-CD-0645 श्री दशरथ यादव की है, उन्होनें वक्त जांच उपरोक्त पैट्रोलियम पदार्थ में भण्डारण/विक्रय के सबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। श्री दीपक यादव पुत्र सम्पत द्वारा बताया कि ट्रक टेलर संख्या RJ-01-GC-1947 के चालक है दशरथ यादव 80 रूपये प्रति लीटर की दर से डीजल बेचा जाता है, सस्ता होने की वजह से वह यहाँ डीजल भरवाने आये है उसी समय पुलिस जाब्ता आया है। श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी मित्र निवास, कॉलोनी, किशनगढ उपस्थित मिले जिन्होने बताया कि ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 को गांधीधाम गुजरात से मंगवाया था और श्री दशरथ यादव को 75 रूपये प्रतिलीटर की दर से उक्त ट्रक टेंकर में मौजूद पेट्रोलियम पदार्थ बेचा जाता है इस प्रकार व्यापार/भण्डारण का कोई अनुज्ञा–पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर श्री दीपक अग्रवाल पुत्र गोविन्द अग्रवाल द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार में प्रयुक्त वाहन मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 भी मौजूद है इस प्रकार उपरोक्त परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से भण्डारण, परिवहन विक्रय किया जाना साबित होने मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (पदार्थ एवं वितरण का विनियमन एवं कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधान का उल्लघंन किया गया है। अतः मौके पर पाये गये ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 मय 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ, ट्रेलर संख्या RJ-01-GC-1947 ट्रेक्टर टेंकर संख्या RJ-01-RA-1114 ट्रेलर संख्या RJ-47-GA-1455 मारूति कार Swift RJ-01-CD-0645 मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 12 प्लास्टिक की टंकी 1 चौकोर टंकी, 18 लोहे के ड्रम 2 नोजल, 1 नोजल नुमा लोहे का यंत्र, चार इलेक्ट्रीक मोटर मय प्लास्टिक पाइप, 10 लीटर क्षमता के दो माप, 5 लीटर क्षमता का 1 माप, 1 लीटर क्षमता के 2 माप, 3 गेजमाप (सभी माप अप्रमाणित) उपरोक्त ड्रम–टंकीयों में पाया गया 11600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भी मौके पर जब्त किया गया इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 में भरा 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ, 12 प्लास्टिक की टंकी 1 चौकोर टंकी, 18 लोहे के ड्रम 2 नोजल, 1 नोजल नुमा लोहे का यंत्र, चार इलेक्ट्रीक मोटर मय प्लास्टिक पाइप, 10 लीटर क्षमता के दो माप, 5 लीटर क्षमता का 1 माप, 1 लीटर क्षमता के 2 माप, 3 गेज माप (सभी माप अप्रमाणित) उपरोक्त ड्रम–टंकीयों में पाया गया 11600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ आदि सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि जब्तशुदा वाहन ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375, ट्रेक्टर टेंकर संख्या RJ-01-RA-1114 एवं मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 का उपयोग अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में किया जाना पाया गया है। चूंकि उक्त वाहनों का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि अप्रार्थीगण ने इन वाहनो को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के परिवहन करने पर ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 पर 1,00,000 (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) एवं ट्रेक्टर संख्या RJ-01-RA-1114 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) एवं मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 पर 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। जब्तशुदा सामग्री ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 में भरा 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ 12 प्लास्टिक की टंकी 1 चौकोर टंकी, 18 लोहे के ड्रम 2 नोजल, 1 नोजल नुमा लोहे का यंत्र, चार

जिला कलक्टर
अजमेर

इलेक्ट्रीक मोटर मय प्लास्टिक पाइप, 10 लीटर क्षमता के दो माप, 5 लीटर क्षमता का 1 माप, 1 लीटर क्षमता के 2 माप, 3 गेज माप (सभी माप अप्रमाणित) उपरोक्त ड्रम–टंकीयों में पाया गया 11600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित ऑयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें और निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्तशुदा वाहन ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 तथा ट्रेक्टर संख्या RJ-01-RA-1114 एवं मारूति अर्टिगा संख्या RJ-42-UA-0060 वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद मालिकाना हक, दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण, मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी मांगीलाल पुत्र राजूराम द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 30/2025, वास्ते जब्तशुदा ट्रक टेंकर संख्या RJ-42-GA-1375 एवं प्राथी श्री दीपक अग्रवाल पुत्र गोविन्द प्रसाद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 3 ए/2026 आंशिक स्वीकार, व प्रार्थी श्री इस्लाम पुत्र जुम्मा द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र 04/2026 वास्ते जब्तशुदा ट्रेक्टर संख्या RJ-01-RA-1114 को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त तीनो प्रार्थना पत्रों का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। अतः तीनों सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर